इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 352] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई 2012—श्रावण 9, शक 1934

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2012

एफ 22-19-10-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (चौदह) एवं (पंद्रह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के कक्ष क्रमांक 210 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में, खण्ड (ज क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ज क) 'शयनयान' से अभिप्रेत है, इस प्रकार डिजाइन किया गया व किसी यान जिसमें यात्रियों के लिये यात्रा के दौरान शयिकाओं का अतिरिक्त प्रावधान हो और ऐसे यान की वहन क्षमता चालक व परिचालक को छोड़कर छह से अधिक यात्रियों को वहन करने की हो और जो नियम 155 क में विहित किए गए विशेष विवरण के अनुरूप हो;''

(2) नियम 155 क, में,—

(क) उपनियम (3) के खण्ड (ग) में, उपखण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) निचली शायिका, बैठने वाले यात्रियों के लिये दो सीट के रूप में गिनी जाएगी"

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) **'सीटों की संगणना'**.—शयनयान में सीटों की संगणना, यान के व्हीलबेस के अनुसार अवधारित सीटों के अध्यधीन होगी."

NOTICE

F-22-19-10-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 111 read with clause (xiv) and (xv) of sub-section (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, during office hours at Room No. 210, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In rule 2, for clause (ha), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ha) **'Sleeper Coach'** means a public service vehicle designed and constructed with additional provision for passengers as sleeper berth during the course of travelling and such vehicle should be capable of carrying more than six passengers excluding the driver and conductor and it should conform to the specification prescribed in rule 155A;"

(2) In rule 155 A,—

(a) in clause (c) of sub-rule (3), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) "the lower sleeper berth shall be counted as two seats for sitting passengers";

(b) After sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) **'Computation of seats'**.—The computation of seats in the sleeper coach shall be subject to the seats determined in accordance with the wheelbase of the vehicle.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.